प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 19.01.2026

थाना बखिरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर आत्महत्या करने के सम्बन्ध में पोस्ट करने वाले 16 वर्षीय युवक को उसके घर अविलम्व पहुँचकर बचाई गई जान

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 19.01.2026 को 02.03 PM बजे थाना बखिरा अन्तर्गत बड़गो निवासी 16 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट फोटो वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया, जिसके उपरान्त मेटा कम्पनी से अलर्ट प्राप्त होने के उपरान्त पुलिस मुख्यालय (सिग्नेचर बिल्डिंग), लखनऊ, उ0प्र0 व सोशल मीडिया सेल संतकबीरनगर द्वारा आत्महत्या के सम्बन्ध में थाना बखिरा को वीडियो, मो0नं0 व युवक की लोकेशन उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके उपरान्त प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा *श्री सतीश सिंह* के नेतृत्व में तत्काल कार्यवाही करते हुए उ0नि0 श्री रमेश चन्द, का0 प्रवेश यादव द्वारा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या के सम्बन्ध में पोस्ट करने वाले 16 वर्षीय युवक निवासी बड़गो थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के घर अविलम्ब पहुंचकर उसकी जान बचायी गयी तथा उसकी काउंसलिंग उ0नि0 रमेश चन्द द्वारा की गयी। काउंसलिंग के दौरान युवक द्वारा बताया गया कि गलती से इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधित पोस्ट डाल दी थी। युवक को उसके परिजनों को सुपुर्द करते हुए मुनासिब हिदायत दी गयी। युवक द्वारा दोबारा ऐसी हरकत न करने के सम्बन्ध में लिखित व मौखिक बयान दिया गया। परिजनों ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी व आभार जताया गया।

पुलिस टीम का विवरण

01. प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा श्री सतीश सिंह।
02. उ0नि0 श्री रमेश चन्द।
03.का0 प्रवेश यादव।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 64 स्थानों पर 2381 वाहनों को किया गया चेक।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 199 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 05 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 02 चार पहिया वाहन पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 जाति सूचक शब्द पर की गयी कार्यवाही*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1403 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 19.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- *जनपद के समस्त थानों द्वारा 71 स्थानों पर 1550 व्यक्तियों को किया गया चेक ।*
- *1047 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया ।*
- *39 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही ।*
- *70 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया ।*

- *धारा 296 बीएनएस के तहत 01 अभियोग पंजीकृत कर 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 10 स्थानों पर 215 व्यक्तियों को चेक किया गया, 195 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 12 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 169 व्यक्तियों को चेक किया गया, 68 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 07 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 196 व्यक्तियों को चेक किया गया, 180 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 16 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 20 स्थानों पर 170 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 104 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 10 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 09 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 20 स्थानों पर 285 व्यक्तियों को किया गया, 260 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 10 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06.थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 160 व्यक्तियों को चेक किया गया, 50 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 170 व्यक्तियों को चेक करते हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 01 अभियोग पंजीकृत कर 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया, 60 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 07 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई, 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 स्थानों पर 135 व्यक्तियों को चेक किया गया, 105 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 30 व्यक्तियों को चेक किया गया, 25 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आर्म्स एक्ट के अपराध में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 19.01.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा एसओजी प्रभारी उ0नि0 श्री ओम प्रकाश यादव जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत अभियुक्त विनोद पाण्डेय पुत्र गुड्डन पाण्डेय निवासी धूरापाली थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद अवैध कट्टा 12 बोर व 02 अदद अवैध जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर थान कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 376/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री राम अवतार यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 376/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

लग्जरी शादी के शौक ने बनाया अपराधी, गैंग लीडर बलजीत यादव ने खडा किया अपना गैग

अपराध पर कड़ा प्रहार: एसओजी, सर्विलांस व थाना बखिरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अंतर्जनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश

जनपद संतकबीरनगर में चोरी की 03 घटनाओं का खुलासा

चोरी की लगभग 30 लाख रु0 के आभूषण व 75,200 रू0 बरामद

चोरी की हीरे जड़ित आभूषण व पीली धातु कुल वजन 162.110 ग्राम भी बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, सर्विलांस प्रभारी श्री अभिमन्यु सिंह व प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा श्री सतीश कुमार सिंह के गठित टीम द्वारा आज दिनांक 19.01.2026 को अभियुक्तगण नाम पता 01. बलजीत यादव पुत्र पूरन मल यादव निवासी बोक्टा थाना गीडा जनपद गोरखपुर 02. प्रिंस मिश्रा पुत्र स्व0 रघुनाथ मिश्रा निवासी सिसवा सोनबरसा थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर 03. महेन्द्र कुशवाहा पुत्र केदार कुशवाहा निवासी इमलिहा लक्ष्मीगंज थाना रामकोला जनपद कुशीनगर 04. रवि निषाद पुत्र सुभाष निषाद निवासी सेक्टर 22 गीडा डिहवा थाना गीडा जनपद गोरखपुर को बौरव्यास सहजनवा बखिरा मार्ग से तथा 05. फारूख मोहम्मद शिकलगार पुत्र मोहम्मद गुलाम शिकलगार निवासी डवलेश्वर थाना विटा जनपद सांगली राज्य महाराष्ट्र हाल मुकमा कस्बा सहजनवा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को कस्बा सहजनवा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी किया गया।

प्रथम घटना- दिनांक 17.12.2025 को वादिनी शिवकुमारी पत्नी स्व0 गुरूचरन प्रसाद नगर पंचायत लेडुआ महुआ उतरी मंगल बाजार वार्ड नं0 10 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्राथर्नी का दो मंजिला का मकान है जिसमें प्राथर्नी के दूसरा मंजिल पर किरायेदार रंगीलाल पुत्र श्री सत्यनरायन पिछले चार माह से सहपरिवार से किराये पर रहता है प्राथर्नी दिनांक 07.11.2025 को अपने पुत्र के पास दिल्ली चली गई तथा मेरा नाती अंकित जो गोरखपुर में रहकर पढ़ाई करता है, दिनांक 01.12.2025 को घर गया और घर का दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे की कुड़िया टूटी पड़ी हुई है तथा बक्से में रखा हुआ आभूषण व 5000 रू० गायब था और बाहर से दरवाजा बन्द था उसी समय मेरे नाती ने सारी घटना की जानकारी हमको फोन पर दिया, तो सूचना पाकर घर आयी और उक्त घटना की सूचना थाना बखिरा पर शक के आधार पर किरायेदार रंगीलाल के विरूद्ध दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 492/2025 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

द्वितीय घटना- दिनांक 31.12.2025 को वादी श्री अविनाश तिवारी पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र तिवारी निवासी सिहोरवा वार्ड न0 3 बूदीपार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थी अपने परिवार के साथ नीम करौली बाबा के दर्शन हेतु दिनांक 28.12.2025 को गया था जब दिनांक 31.12.2025 को सुबह आया तो देखा कि घर का मेन दरवाजा व अन्दर के सभी कमरों के दरवाजे की कुड़िया टूटी है तथा आलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखा आभूषण व 1,23,000 रूपया चोरी के सम्बन्ध में अज्ञात के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 510/2025 धारा 305,331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

तृतीय घटना- दिनांक 09.01.2026 को वादी श्री प्रार्थी इसहाक अली पुत्र सोहरत अली ग्राम न0 पं0 बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के द्वारा थाना बेलहरकला पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 7/8.01.2026 की रात्रि में मकान के पीछे जंगले के रास्ते से घर में घुसकर आभूषण व 15000 रु0 चोरी की गई थी। घटना के समय प्रार्थी अपने बहू को दवा-इलाज हेतु बखिरा अन्तर्गत हरदी स्थित अस्पताल ले गये थे, घर पर न होने के कारण चोरी के सम्बन्ध में अज्ञात के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 08/2026 धारा 305(a),331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- बलजीत यादव पुत्र पूरन मल यादव निवासी बोक्टा थाना गीडा जनपद गोरखपुर।
- प्रिंस मिश्रा पुत्र स्व0 रघुनाथ मिश्रा निवासी सिसवा सोनबरसा थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर।
- महेन्द्र कुशवाहा पुत्र केदार कुशवाहा निवासी इमलिहा लक्ष्मीगंज थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।

- रवि निषाद पुत्र सुभाष निषाद निवासी सेक्टर 22 गीडा डिहवा थाना गीडा जनपद गोरखपुर।
- फारूख मोहम्मद शिकलगार पुत्र मोहम्मद गुलाम शिकलगार निवासी डवलेश्वर थाना विटा जनपद सांगली राज्य महाराष्ट्र हाल मुकमा कस्बा सहजनवा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- ब्रसलेट 01 अदद पीली धातु।
- अंगूठी 02 अदद पीली धातु।
- लाकेट 02 अदद पीली धातु।
- टप्स 01 अदद पीली धातु।
- गला हुआ सोने का चिपड 02 अदद पीली धातु।
- पायल सफेद धातु 01 जोड़ा।
- 75,200 रूपये नगद।
- 01 अदद देसी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोगों का एक गैंग है बलजीत यादव हमारे गैग लीडर है हम लोगों द्वारा मोटरसाइकिल से घुम फिरके बन्द पड़े मकान की रैकी कर चिन्हित कर मौका पाकर चोरी की घटना करते है तथा उससे प्राप्त धन को आपस में बाट कर अपना जीविकोपार्जन करते है। हम लोगों को खाने पीने व मौज मस्ती करने की लत पड़ गयी है हम लोगों का इसी तरह से काम चलता है। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने ही तीनो चोरी किये थे जिसमें पैसा व अच्छा जेवरात मिल गया था कुछ जेवरात को हम लोगों गलवा दिये थे, कुछ जेवरात जिसपर हीरे का क्रिस्टल था उसे नही गलवाये थे नगद का हम लोग आपस में बटवारा कर लेते थे कुछ मिले जेवरात को राह चलते राहगीर को हमलोगो ने मजबूरी बताकर बेच दिया था। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा कस्बा सहजनवा में एक सोना गलाने वाला है जिससे हम लोगो ने सोना गलवाये था, उपरोक्त अभियुक्तगणो को साथ लेकर सहजनवा पहुच कर सोना गलाने वाले दुकान पर पहुचा गया अभियुक्तगण से दुकानदार को बुलाने के लिए कहा गया, अभियुक्तगण द्वारा बुलाने पर दुकानदार बाहर आया पूछने पर अपना नाम पता फारूख मोहम्मद शिकलगार पुत्र मोहम्मद गुलाम शिकलगार बताया और बताया कि मैं सोना गलाने का काम करता हूँ लगभग कुछ दिन पहले बलजीत मेरे पास आये थे तथा इनके कहने पर मैने लालच में आ कर सोना गलाया था सोना गलाने के एवज में बलजीत मुझे 01 अंगूठी दिये थे। इस गैग का लीडर बलजीत यादव की शादी इसी वर्ष फरवरी माह में होनी सुनिश्चित थी, अपनी शादी को भव्य बनाने व शादी में अपनी होने वाली पत्नी को महँगे सोने के आभूषण देने के लिए उसने अपना एक गैंग बनाया था जिसमें सबका कार्य वितरण किया गया था, जिसमें प्रिंस मिश्रा, महेन्द्र कुशवाहा और रवि निषाद अलग-अलग क्षेत्रों में भ्रमण करके रेकी कर खासकर एकांत में बने बड़े मकानों को टार्गेट किया जाता था, जिसमें प्रिंस मिश्रा व महेन्द्र कुशवाहा घरों में घुस कर चोरी करते थे और घरों से दूर रवि निषाद बाइक लेकर जाने आने वोलों की रेकी करता रहता था।मोटर साईकिल को जो घटना में प्रयोग की गय़ा था उसको MV Act की धारा 207 मे सीज किया गया।

अपराधिक इतिहास

01. बलजीत यादव पुत्र पूरन मल यादव निवासी बोक्टा थाना गीडा जनपद गोरखपुर।
मु0अ0सं0 03/2022 धारा 323,504,506 भादवि0 थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर।
मु0अ0सं0 545/2024 धारा 331(2),351(3),352,74 बीएनएस थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर।
मु0अ0सं0 492/2025 धारा 305 बीएनएस थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
मु0अ0सं0 510/2025 धारा 305,331(4) बीएनएस थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
मु0अ0सं0 08/2026 धारा 305(a),331(4) बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
02. प्रिंस मिश्रा पुत्र स्व0 रघुनाथ मिश्रा निवासी सिसवा सोनबरसा थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर।
मु0अ0सं0 262/2022 धारा 392,411,413,414 भादवि0 थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर।
मु0अ0सं0 264/2022 धारा 392,411,413,414 भादवि0 थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर।
मु0अ0सं0 265/2022 धारा 41,411,413,414 भादवि0 थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर।
मु0अ0सं0 192/2023 धारा 41,411,413,414 भादवि0 थाना एम्स जनपद गोरखपुर।
मु0अ0सं0 84/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रूधौली जनपद बस्ती।
मु0अ0सं0 65/2024 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना रूधौली जनपद बस्ती।
मु0अ0सं0 492/2025 धारा 305 बीएनएस थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
मु0अ0सं0 510/2025 धारा 305,331(4) बीएनएस थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

- एसओजी टीम प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, हे0का0 विवेक कुमार राय, हे0का0 अनूप कुमार राय, का0 अभिषेक सिंह, का0 दीपक सिंह, का0 सर्वेश मिश्रा, का0 वीर बहादुर यादव, का0 शुभम सिंह, का0 विवेक मिश्रा, का0 अरूण हलवाई।
- प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा श्री सतीश कुमार सिंह, व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार, उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह, हे0का0 अजय कुमार सिंह, का0 अनूप यादव, का0 प्रवेश यादव।
- सर्विलांस प्रभारी उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह, का0 ज्ञान प्रकाश सिंह, का0 अमरजीत मौर्या, का0 नितीश कुमार।